9.2

27-8-19

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी – श्री दामोदर सिंह आर.ए.एस.
वाद संख्या – 83/2014

रमेश बगै. बनाम लालचंद बगै.

प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 जा. दीवानी
दावा अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक : 12.02.2021

वादीगण द्वारा एक दावा अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रतिवादी संख्या–1 लालचंद जो वादीगण के पिता है ने ग्राम मुरवारा तहसील भरतपुर स्थित हाल खसरा नंबर 219 रकबा 0.40 बिघे का विक्रय अपने नाम दर्ज खातेदारी का लाभ उठाते हुए प्रतिवादी संख्या–3 सुनीता देवी पुत्री शिवसिंह को कर दिया है जिससे व्यथित होकर वादीगण ने यह दावा उक्त खसरा नंबर में स्वयं एवं प्रतिवादी संख्या–1 व 2, प्रत्येक को हिस्सा 1/5 का खातेदार घोषित कराये जाने और लालचन्द द्वारा सुनीता देवी के पक्ष में कराये गये बयनामा को वादीगण के खिलाफ बातिल व बेअसर घोषित कराये जाने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

उक्त दावा के अंतर्गत प्रार्थिया प्रतिवादी संख्या–3 सुनीता की ओर से प्रार्थना पत्र दिनांक 06.12.2019 अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. पेश कर निम्नानुसार प्रार्थना की है :–

विवादित आराजी भूमि का लालचंद रिकार्डेड काश्तकार व काबिज आराजी था, जिसने प्रति. संख्या 3 सुनीता को जरिये रजि. बयनामा दिनांक 31.03.14 को इन्तकाल कर कब्जा मौके पर दे दिया। वादीगण के पिता लालचन्द ने उक्त भूमि विक्रय करने के कारण वे अपने पिता के उक्त कृत्य से पावंद है। यह बयनामा उन पर भी तब तक लागू रहेगा, जब तक वे सक्षम सिविल कोर्ट से उसे निरस्त नहीं करा देते है। राजस्व न्यायालय में उसे नल एण्ड वॉईड घोषित कराने हेतु उपरोक्त परिस्थितियों में दावा नहीं लाया जा सकता है। दावा बार्ड वाई ऑफ लॉ है तथा न्यायालय श्रीमान जी को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं रहता है।

वादीगण ने मात्र विवादित भूमि के एक खसरा नंबर, जो कि सुनीता को बय किया है, उस पर ही दावा किया है, जबकि वादीगण की यह स्वीकृत जानकारी है कि लालचन्द ने पहले भी काफी भूमि विक्रय की है। पूर्व में विक्रय हुई भूमि को एवं बाकी रही लालचन्द की खातेदारी की भूमि को दावा में शामिल नहीं किया है जो

9.ग

27-8-19

अवैधानिक है। दावा आदेश 2 नियम 2 जा. दी. के प्रावधानों के तहत पोषणीय नही है व दावा इसी स्टेज पर काबिल खारिजी है।

[illegible] राज. टी. एक्ट के प्रावधानों में विक्रेता के कोपानर्सरी सिद्धांत को मान्यता नहीं दी है व पुत्रों को पिता के जीवनकाल में उसकी खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार के हक प्राप्त नहीं है व उन्हें केवल पिता की मृत्यु के बाद विरासत के अधिकार प्राप्त हैं। वादी को दावा करने कर अधिकार नहीं है तथा उन्हें वाद का कारण कॉज ऑफ एक्शन उत्पन्न नही होने के कारण वाद काबिल खारिजी के है।

[illegible] वाद हेतुक के सम्बन्ध में मुताबिक वादपत्र गलत शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। तथ्यों को जानबूझकर न्यायालय से वादी के द्वारा छुपाया गया है। चूँकि मुताबिक वादपत्र कोई वादहेतुक उत्पन्न नहीं हुआ है। इसलिये गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत वादपत्र विधि विरूद्ध होने के कारण इसी स्तर पर मय कोस्ट खारिज किये जाने के योग्य है। वादपत्र जानबूझकर न्यायालय की विधिक प्रक्रिया में उल्लंघन की श्रेणी में आता है। अतः काबिल खारिजी के है।

[illegible] अप्रार्थी वादी संख्या 01 रमेश ने अपने जबाब प्रार्थना पत्र में यह निवेदन किया कि

[illegible] प्रतिवादी ने अपने प्रार्थना पत्र में लिखा है कि लालचन्द ने सुनीता को बयनामा करा दिया अतः उसे सिविल न्यायालय से निरस्त करा ले। वादीगण का दावा चलने योग्य नही तथा वादीगण ने जो आराजी सुनीता को विक्रय की है, उसी का दावा किया है, अन्य विक्रय की गई आराजी के सम्बन्ध में दावा नही किया है लेकिन उसने यह नहीं बताया कि अन्य आराजी पूर्व में कौनसी विक्रय की गई है।

[illegible] प्रार्थना पत्र में प्रतिवादी ने यह भी कहा है कि वादीगण को अपने पिता के जीवन काल में पिता की सम्पति के ऊपर दावा करने का कोई हक नहीं है। यह सम्पूर्ण बिन्दु प्रति अपने जबाब दावा में उठा सकता था प्रति ने अपना जबाब पूर्व में 2015 में पेश कर दिया। वाद तनकी मुकदमा साक्ष्य वादी में लगा है। इसलिये इस स्टेज पर यह प्रार्थना पत्र मेनटेनेबिल नहीं है तथा यह सारे बिन्दु आदेश 7 नियम 11 जा. दी. के प्रार्थना पत्र में नहीं देखे जावेंगे बल्कि वादीगण के दावे का सार देखा जावेगा।

[illegible] वादीगण ने यह दावा इस हक का किया है आ. मु. वादीगण की पुस्तैनी आराजी है। वादीगण के पिता बडे होने के कारण इन्द्राज उनके नाम हो गये। अतः 1/5, 1/5 हिस्से का खातेदार पक्षकारान को घोषित किया जावे। बिना किसी लीगल नेसेसिटी के प्रतिवादी ने आ.मु. को बेच दिया। जो वादीगण के खिलाफ नल एण्ड वाइड है।

27-8-19

ने अपने दावा में यह रिलीफ चाही है कि उन्हें व प्रति सं. 1 व 2 को 1/5, 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। यह रिलीफ केवल रेवन्यू अदालत ही दे सकती है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र प्रति. आदेश 7 नियम 11 जा. दी मय हर्जा–खर्चा खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्षकारान के अभिभाषकों की बहस सुनी गई। प्रतिवादी संख्या 3 सुनीता देवी के अभिभाषक ने अपने प्रार्थना पत्रों के कथनों को दोहराते हुये अवगत कराया कि वादीगण के पिता लालचन्द द्वारा उक्त भूमि जरिये बयनामा विक्रय की गई थी। उक्त बयनामा को सक्षम सिविल कोर्ट ही निरस्त कर सकता है। राजस्व न्यायालय को बयनामा को नल एण्ड वाइड घोषित करने का अधिकार नहीं है। वादी द्वारा अपने दावा में प्रार्थी द्वारा खरीद की गई भूमि को ही दावा में शामिल किया गया है। वादीगण की अन्य भूमि को शामिल नही किया गया है। दावा आदेश 2 नियम 2 जा. दीवानी के तहत पोषनीय नही है। वादीगण को अपने पिता के जीवनकाल में दावा करने का अधिकार नहीं है। दावा में कोई कोज ऑफ एक्शन नहीं होन के कारण दावा वादीगण खारिज योग्य है। दावा वादीगण खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी वादीगण के अभिभाषक ने अपनी बहस में अवगत कराया कि प्रतिवादी ने अपने प्रार्थना पत्र में यह नहीं बताया कि अन्य कौनसी आराजी का दावा पेश नहीं किया गया है। दावा वर्तमान में साक्ष्यवादी में नियत है। इस स्टेज पर आकर प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. पेश करना उचित नहीं है। प्रार्थना पत्र में उठाये गये बिन्दु दावा में साक्ष्य प्रस्तुत होने के बाद तनकी के आधार पर तय किये जावेंगे। अप्रार्थी वादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी बताया कि आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के प्रार्थना–पत्र के निस्तारण में सिर्फ वादीगण के दावे का सार देखा जावेगा और प्रतिवादी द्वारा जबाब दावे में किये गये कथनों पर इस प्रार्थना–पत्र के निस्तारण में विचार नहीं किया जावेगा। दावा में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 को प्रत्येक 1/5, 1/5 हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित कराने की रिलीफ रेवन्यू अदालत ही देख सकती है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रतिवादी संख्या 3 को खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्षों के अभिभाषकों की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र में यह कथन किया है कि जब तक वादी, उसके पिता द्वारा कराये गये बयनामा को, सक्षम सिविल कोर्ट से निरस्त नहीं करा देते हैं, तब तक यह बयनामा वादीगण पर भी लागू है। राजस्व न्यायालय में उसे नल एण्ड वॉईड घोषित कराने हेतु उपरोक्त परिस्थितियों में दावा नहीं लाया जा सकता है। इस न्यायालय को बयनामा निरस्ती हेतु वाद के सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है। मेरी विनम्र राय में प्रार्थना–पत्र में बयनामा को नल एण्ड वायड कराने का अनुतोष

9.30
27-8-19

मांत्र आनुषांगिक है, मुख्य रिलीफ खातेदारी अधिकारों की घोषणा है, अतः वाद इस राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है।

8.2 प्रार्थी द्वारा वादीगण के पिता लालचंद द्वारा पूर्व में विक्रय की गई भूमि को वादीगणों द्वारा वर्तमान दावे में शामिल न करने का हवाला देते हुए दावे का सी.पी.सी. आदेश 2 नियम 2 के तहत पोषणीय न होने के कारण दावे को खारिज करने की प्रार्थना–पत्र की गई है। ए.आई.आर गुजरात–60 के अनुसार यह नियम पहले वाद में लोप किये गये दावे के लिए दूसरा वाद लाना वर्जित करता है परन्तु ऐसे दावे को उसी वाद में सम्मिलित करने के लिए मना नहीं करता है। इसी प्रकार ए.आई.आर. 1978 आंध्रप्रदेश 385 के अनुसार आदेश 2 नियम 2 प्रतिवादियों को उसी समान वाद हेतुक के लिए दो बार होने वाली मुकदमेंबाजी से बचाने के लिए है। इसका उद्देश्य दावों और उपचारों को विभाजित करने से रोकना है। यह नियम केवल तभी लागू होता है जब दूसरे वाद में वाद हेतुक और पक्षकार दोनों पहले वाद के समान हों। उपरोक्त नजीरों के अनुसार मेरी विनम्र राय में प्रार्थी द्वारा उठाया गया तर्क सारहीन है।

8.3 प्रार्थी द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण बिन्दु यह है कि पुत्रों को पिता के जीवनकाल में उसकी खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार के हक प्राप्त नहीं है व उन्हें केवल पिता की मृत्यु के बाद विरासत के अधिकार प्राप्त हैं। वादी को दावा करने का अधिकार नहीं है तथा उन्हें वाद का कारण कॉज ऑफ एक्शन उत्पन्न नही होने के कारण वाद काबिल खारिजी है।

इस संबंध में टी. अरविन्दरम बनाम सत्यपाल ए.आई.आर.1977" में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि

> "यदि वाद–पत्र के अर्थपूर्ण ना कि औपचारिक पठन से वाद–पत्र प्रकट रूप में तंग करने वाला और गुणावगुण रहित है कि वह वादाधिकार को प्रकट न करें, तो न्यायाधीश को आदेश 7 नियम 1 सी.पी.सी. की शक्ति का प्रयोग करना चाहिए और ध्यान से देखना चाहिए कि उसमें वर्णित आधार परिपूर्ण है"।

मैं अप्रार्थी वादीगण के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क से सहमत हूं कि आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का निस्तारण सिर्फ वादीगण के वाद–पत्र के आधार पर तय किया जावेगा। इसमें प्रार्थी प्रतिवादी के जबाव दावा में उठाये गये बिन्दुओं पर विचार नहीं किया जाना है, परन्तु उपरोक्त नजीर अनुसार वाद–पत्र का अर्थपूर्ण पठन किया जाना है, न कि सिर्फ औपचारिक पठन।

हस्तगत वाद में अप्रार्थी वादीगण द्वारा अपने पिता लालचन्द पुत्र कुन्दन की खातेदारी के खसरा नंबर 219/0.40 हैक्टे., जिसे लालचन्द द्वारा प्रतिवादी

किया गया था। अब महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या पिता के जीवनकाल में पुत्र को उसकी खातेदारी भूमि में अपने हिस्से की घोषणा करवाने और सहखातेदार दर्ज होने के लिए वाद लाने का अधिकार है और क्या पिता के जीवनकाल में पुत्रों के लिए ऐसी स्थिति में वाद लाने का कोई कॉज ऑफ एक्शन उत्पन्न होता है। इस संबंध में प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा दी गई नजीर "स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम मूला एण्ड अदर्स" (आरआरडी–1977 पेज–95) में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर की पीठ ने यह अभिनिर्धारित किया है कि :–

> "Division of a holding can be effected by agreement between the co-tenants with the sanction of the land-holder in writing provided that all the persons seeking the division are recorded as co-tenants. If any of the persons seeking the division is not recorded as a co-tenants, it will be necessary for the status to be determined first by way of a suit. There after, there can be division by agreement. Alternatively a suit may be filed, but if any of the person seeking division is not recorded as a co-tenant, his status must be determined first in the same or a separate suit. Shares in tenancy do not accrue to members of the joint family of a khatedar by virtue of their being such members during the lifetime of the recorded khatedar, and such persons are not entitled to claim division of the holding as a family settlement or to as mutation showing them co-tenants from whom rent is payable. Further, the fact that additional collector made the references late will not be a bar to setting aside the mutations, because no time limit has been prescribed under section 232 of the tenancy act. That no one has complained is immaterial, because one of the main purposes of section 232 is to enable collusive decisions to be examined and set aside, if necessary.

इसी प्रकार प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अन्य नजीर "अब्दुलवासी बनाम अब्दुल कादिर व अन्य" (आरआरटी–2009(1) पेज–162) में माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान द्वारा अभिनिर्धारित किया है कि

> The learned trial court has dealt with the facts of the case in detail while passing the impugned order, it has decided the ingredients of prima – facie case, balance of convenience and irreparable injury in favour of the defendants and against the plaintiff, and, while

father of the plaintiff, who is defendant no. 3 is alive, therefore, the plaintiff does not have any right whatsoever to file a suit for division in presence of his father Abdul Sami.

उपरोक्त न्यायिक नजीरो के अनुसार खातेदारी अधिकारों में संयुक्त परिवार के व्यक्तियों को खातेदार के जीवनकाल में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है और ऐसे व्यक्ति उन्हें सहखातेदार दर्ज कराने के अधिकारी नहीं हैं। हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी वादीगण को अपने पिता के जीवनकाल में उसकी खातेदारी आराजी में सहखातेदार दर्ज कराने का वादाधिकार नहीं है। इस प्रकार वाद–पत्र के समग्र अर्थपूर्ण पठन के बाद कोई वादहेतुक प्रकट नहीं होता है।

मेरे विनम्र मत में अप्रार्थीगण वादीगण का यह तर्क कि वादीगण यदि दावे को सिद्ध न कर पाये तो सुनवाई के बाद वादीगण का दावा खारिज कर दिया जावेगा, सारहीन है क्योंकि तंग करने वाले सारहीन वादाधिकार रहित, बिना स्पष्ट वाद हेतुक वाले दावों की दशा में न्यायालय का यह दायित्व है कि वह ऐसी मुकदमाबजी को नहीं पनपने दे। अप्रार्थी वादीगण द्वारा यह तर्क भी दिया गया है कि वर्तमान में मुकदमा तनकी बनने के पश्चात् साक्ष्य वादी की स्टेज पर है इसलिए प्रार्थना–पत्र मेन्टेनबल नहीं है परन्तु ए.आई.आर. 1987 एस.सी. 1926 समर सिंह बनाम केदारनाथ मे निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है :–

"In Devnarayan Ramsumar Tewari v. State of Bombay (now Gujarat) a learned Single Judge held that an order rejecting the plaint after the issues had been framed was clearly wrong. In coming to that conclusion the learned Judge placed reliance on Order 5 Rule 5 and Order 14 of Rule 1, Sub-rule (5) and Order 9 Rule 1, C.P.C. The learned Judge observed that under Order 5 Rule 1 when a suit is instituted and the summons are issued to the defendant to appear and answer the claim on a day to be stated therein. The Court may indicate if the summons are issued for the settlement of issues or for the final disposal of the suit and the summons shall contain a direction accordingly. The learned Judge placing reliance on Order 9 Rule 1 held that the plaint cannot be rejected after the issues are framed, after summons are served on the defendant, the suit can be dismissed but the plaint cannot be rejected. The view taken by the learned Single Judge is not sustainable in law. Normally, when a suit is instituted the Court is to satisfy itself that the suit is maintainable and it disclosed cause of action and only thereafter the Court may issue summons to the defendants but merely because the summons

9

27-8-

defendants right to raise preliminary objection for rejection of the plaint on the ground that it disclosed no cause of action is not affected. If a plaint or an election petition does not disclose any cause of action, it does not stand to reason as to why the defendant or the respondent should incur costs and waste public time in producing evidence when the proceedings can be disposed of on the preliminary objection".

अतः वाद को खारिज करने की शक्ति को तनकी बनने के बाद भी प्रयोग किया जा सकता है।

उपरोक्त विवेचनानुसार दावे में वादहेतुक/कॉज ऑफ एक्शन उत्पन्न न होने की वजह से अप्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. स्वीकार योग्य है और दावा काबिल खारिजी है।

अतः आज्ञा है कि

प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या–3 सुनीता का प्रार्थना–पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 जा. दी. स्वीकार किया जाता है। दावा वादीगण खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 12.02.2021 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(दामोदर सिंह आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर